

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चारु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) इसलिए

पीठासीन अधिकारी :- **श्री राहुल सैनी आर.एस.**

विवाद उनवान
..... बनाम श्री गंगाधर सिंह काट

दावा बाबत नाम इरस्ती U/S 88 RTA

मुकदमा नम्बर :- 154/2021

निर्णय दिनांक - 06.12.2021

वादी की ओर से संग

की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 06.12.2021 को श्री **राहुल सैनी आर.एस.** (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चारु के सम्क्ष अतिन निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - दावा वादी की

किया जायक कृषि भूमि से ही इमारत के खताना पर पं
बंधित मनोज कुंजी गंगाधर के स्थान पर निवास कुंजी
गंगाधर को देने के आदेश दिये जाते हैं। राम इरस्ती के
सम्बन्ध में अद्विध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो
समान विमोचन) वाद) को लगी। लक्ष्मीदेव, रूक
उपनाम) राहुल सैनी के लिये मेरे सम्मुख दायर है।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 06.12.2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



06.12.21
(राहुल सैनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रूपया	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		
6. कमिश्नर की फीस		
7. आदेशिका की तामित		
जोड़		



मा. नं. 1856
6-12-21